राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1538/2010/भरतपुर.

मैसर्स गर्ग स्टोन गैंगसॉ, रिको, बयाना. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, बयाना. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

नेहा सेठी, अधिकृत प्रतिनिधि .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 10/04/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, बयाना, भरतपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के कर निर्धारण वर्ष 2007–08 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **'केन्द्रीय अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 23 व 24 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 26.03.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के वित्तीय वर्ष 2007–08 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.3.2010 को एकपक्षीय पारित किया गया था, जिसमें व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत ट्रेडिंग अकाउण्ट में दर्शाये गये रूपये 7,98,582/– के जॉब वर्क को अन्तर्राज्यीय ब्रांच ट्रांसफर मानते हुए एवं ब्रांच ट्रांसफर के लिये घोषणा पत्र 'एफ' की अनिवार्यता मानते हुए एवं इसके अभाव में पूर्ण दर से अन्तर्राज्यीय कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी, परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में ब्रांच ट्रांसफर से सम्बन्धित विवाद मानते हुए यह अपील कर बोर्ड में स्थानान्तरित की गयी है, जिसकी सुनवाई की गई।

3. अपीलार्थी की विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि नेहा सेठी द्वारा कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कोई नोटिस जारी किये एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। साथ ही यह भी कथन किया कि उनके द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भिजवाये गये स्टोन की कटिंग करने का जॉब वर्क किया गया था। इस तरह उनके द्वारा किये गये जॉब वर्क में विक्रय का कार्य नहीं किया गया था। इस

लगातार.....2

सम्बन्ध में उनके द्वारा जॉब वर्क के बिल भी प्रस्तुत किये गये। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली की ऑर्डरशीट की फोटो प्रति प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि इस आदेशिका से ही यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 26.3.2010 को आदेश पारित करने से पूर्व किसी भी तरह का नोटिस जारी करना नहीं बताया गया है। उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा वार्षिक विवरण प्रपत्र समयावधि में प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिसकी प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि ऐसी स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण प्रपत्रों अनुसार धारा 23 में ही आदेश पारित किया जा सकता था एवं किसी भी तरह की कमी होने की स्थिति में स्पष्ट नोटिस दिया जाना आवश्यक था, नोटिस किसने प्राप्त किया है, स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है।

4. विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तथाकथित रूप से जो नोटिस दिनांक 26.3.2010 के लिये जारी किया जाना बताया है वह दिनांक 24.3.2010 को अपीलार्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को तामील होना बताया गया है जो कि केवल 2 दिन पहले तामील करवाया गया है, वह भी सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिये जाने की श्रेणी में आता है। अतः कर निर्धारण आदेश को अपास्त कर उन्हें सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने के निर्देश देने पर बल दिया।

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन पर पृष्ठ संख्या 8, जो कि कर निर्धारण आदेश से सम्बन्धित आदेशपत्र है, उसमें केन्द्रीय अधिनियम के कर निर्धारण के लिये कोई नोटिस जारी होने का उल्लेख नहीं है परन्तु वेट अधिनियम के तहत दिनांक 26.3.2010 के लिये नोटिस जारी करने का अंकन किया गया है एवं दिनांक 26.3.2010 को ही एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस की प्रति पत्रावली के पृष्ठ संख्या 16 के रूप में उपलब्ध है, उसमें सुनील कुमार नामक व्यक्ति द्वारा दिनांक 24.3.2010 को नोटिस प्राप्त किया जाना बताया गया है एवं प्राप्तकर्ता ने किस हैसियत से यह नोटिस प्राप्त किया है, उल्लेख नहीं है। इस नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2007–08 में जॉब वर्क करके जो राशि प्राप्त की है उसके सम्बन्ध में कोई

2m लगातार.....3

फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः घोषणा पत्र के अभाव में जॉब वर्क करके भेजे गये माल की कीमत का बाजार भाव से मूल्यांकन कर, कर एवं ब्याज आरोपित करना प्रस्तावित है। इससे यह प्रतीत है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश अपीलार्थी को पर्याप्त अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार उचित नहीं है अतः एकपक्षीय पारित कर निर्धारण आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् पुनः आदेश पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 15.5.2018 को वांछित दस्तावेजों सहित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

8. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण उपरोक्तानुसार कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।

13/4/2018

(के. एल. जैन)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य